न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 19/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 09.03.2026 निर्णय दिनांक : 04.05.2026

उनवान

1. अनिल कुमार जांगिड पुत्र किशोरीलाल जाति जांगिड निवासी कानूगोवाली जाटान पोस्ट होलावास तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। –प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2. मातादीन पुत्र फूलचन्द जाति जांगिड निवासी कानूगोवाली जाटान पोस्ट होलावास तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुबे सिंह यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से।

।। निर्णय ।। दिनांक – 01.05.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष वाद बउनवानी मातादीन बनाम अनिल कुमार वगै0 मुकदमा संख्या 148/2025 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री सुबेसिंह यादव ने वकालतनाम एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभयपक्षकारान को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष घोषणा वाद बअनुवानी मातादीन बनाम छीतर प्रकरण संख्या 17/2013 (नया प्रकरण संख्या 143/2020) प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2025 को डिक्री कर दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील संख्या 139/2025 बअनुवानी रोशनलाल बनाम मातादीन वगैरा प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2025 की अनुपालना में अंकन करवा लिया तथा उसी के आधार पर तकासमा वाद प्रस्तुत कर दिया, जबकि अपील लंबित रहते हुए न तो राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किया जाना चाहिए था और न ही विभाजन संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपील के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखने का निवेदन किया, परन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया तथा दिनांक 15.07.2025 से अल्प अवधि में लगभग 26 तारीख पेशी देकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी प्रकरण का त्वरित निस्तारण कर भूमि का विभाजन कर अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने की मंशा रखते हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय व डिक्री भी इसी पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित की गई थी, जिसके विरुद्ध अपील लंबित है, अतः उनके आचरण से निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है और प्रार्थी को न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद बअनुवानी मातादीन बनाम अनिल कुमार वगैरा प्रकरण संख्या 148/2025 तथा धारा 212 आरटी एक्ट के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड़ से किसी अन्य सक्षम राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।
5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष घोषणा का वाद बउनवानी मातादीन बनाम छीतर प्रकरण संख्या 17/2013 (नया प्रकरण संख्या 143/2020) प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2025 को डिक्री कर दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील संख्या 139/25 बउनवानी रोशनलाल बनाम मातादीन वगैरा प्रस्तुत की, जो आज दिन तक विचाराधीन है वकील प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार है, बाकी कथन गलत एवं

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अस्वीकार है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 26.05.2025 की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है, तथा उक्त अपील में आर.ए.ए. अलवर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर कोई अन्तरिम स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया एवं राजस्व मण्डल अजमेर में भी स्थगन प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण निर्णय की पालना की गई। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने नाम खातेदारी विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है, जबकि यह प्रार्थना पत्र उसके निस्तारण में विलम्ब करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिनांक 26/05/2025 को विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया जो लगभग 22 वर्ष के विचारण के बाद हुआ है, अतः पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप निराधार है। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त आराजी में से 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रार्थी एवं उसका परिवार काबिज है और प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की कुछ भूमि का विक्रय भी विचारण अवधि में किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रत्येक प्रकरण में मुन्तकिल/ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अभ्यस्त है तथा वर्तमान प्रकरण में भी विलम्ब कराने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी का यह जवाब स्वीकार कर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा के खारिज किया जावे।

6. तहत न्यायालय से प्राप्त बिन्दुवार टिप्पणी में उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दू मनगंढत जो स्वीकार्य नही है। उक्त विचाराधीन प्रकरण वर्तमान में प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी के जवाब/बहस तथा जवाब दावा में नियत है। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों, पत्रावली के समस्त अभिलेखों एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा प्रेषित बिन्दुवार टिप्पणी पर सम्यक् विचार किया गया। यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रार्थी अनिल कुमार जांगिड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 148/2025 को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि पीठासीन अधिकारी ने पूर्व में उनके विरुद्ध निर्णय पारित किया था, जिसकी अपील वर्तमान में लंबित है, और अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन (तकास्मा) की कार्यवाही में अत्यधिक शीघ्रता दिखाई जा रही है, जिससे उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की आशंका है। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 02 का तर्क है कि पूर्व निर्णय के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन (Stay) आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप की जा रही कार्यवाही पूरी तरह विधिसम्मत है। अप्रार्थी के अनुसार, प्रार्थी केवल न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब करने के उद्देश्य से आधारहीन आरोप लगा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, बानसूर) द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और प्रार्थी के आरोप तथ्यहीन हैं। पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण वर्तमान में जवाब–दावा और बहस हेतु नियत है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि केवल किसी पक्ष के विरुद्ध पूर्व में दिए गए निर्णय या त्वरित सुनवाई को "पक्षपात" का आधार नहीं माना जा सकता, जब तक कि पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई ठोस और युक्तियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए। प्रार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आचरण न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मात्र व्यक्तिगत आशंका या अपील लंबित होने के आधार पर, जहाँ कोई स्थगन आदेश भी प्रभावी न हो, प्रकरण का स्थानांतरण करना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी अनिल कुमार जांगिड द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में एवं निराधार होने के कारण खारिज (Dismiss) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह मूल प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर विधिसम्मत् कार्यवाही जारी रखे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़